1992-93. [Placed in Library, See No. LT 2263/92].

Notifications of the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry and Dairying)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K. C. LENKA): Madam I lay on the table, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, a copy each (in English and Hindi) of the following notifications of the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry and Dairying):—

- (1) S.O. No. 405(E), dated the 9th June, 1992, publishing the Milk and Milk Product Order, 1992.
- (2) S.O. No. 406(E), dated the 9th June, 1992, authorising Assistant Commissioner-II and Assistant Commissioner-II in the Dairy Division of the Department of Animal Husbandry and Dairying to discharge the functions of registering authority
- (3) S.O. No. 407(E), dated the 9th June, 1992, publishing the Delhi (Milk and Milk Product) Control Order, 1992.
- (4) S.O. No. 408(E), dated the 9th June, 1992, publishing the Rajasthan (Milk Export) Control Order, 1992
- (5) S.O. No. 409(E), dated the 9th June, 1992, publishing the Gujarat (Milk Export) Control Order, 1992.
- (6) S.O. No. 410(E), dated the 9th June, 1992, publishing the Madhya Pradesh (Milk and Product) Control Order, 1992.
- (7) S.O. No. 411(E), dated the 9th June, 1992, appointing Joint Secretary (Dairy-Development) in the Department of Animal Husbandry, as Controller for the

general implementation of the order.

- (8) S.O. No. 469(E), dated the 26th June, 1992, publishing the Gujarat (Milk Export) Control Amendment Order, 1992.
- (9) S.O. No. 470(E), dated the 26th June, 1992, publishing the Haryana (Milk Export) Control Order, 1992.
- (10) S.O. No. 471(E), dated the 26th June, 1992, publising the Haryana (Milk Product) Control Order, 1992. (Placed in Library. See No. LT-2317/92)

Report of Official Team which visited Ayodhya and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Madam, I lay on the Table a copy each of the following papers:—

- (i) Report of the Official Team which visited Ayodhya on the 12th, 13th and 14th July, 1992.
- (ii) Statement (in English and and Hindi) giving reasons for not laying simultaneously the Hindi version of the Report mentioned at (i) above (Placed in Library, See No. LT-2259/92)

श्री स्वर सिंह भंडारी (राजस्थान): जो रिपोर्ट जैकब साहब ने रखी है इस का हिंदी ट्रांसलेशन साथ नहीं है, स्टेटमेंट जरूर है लेकिन 14 तारीख की रिपोर्ट ग्राज जब 17 तारीख को रखी जा रही हैं तो बिना हिंदी ग्रनुवाद के क्यों रखी जा रही हैं ग्रीर क्या चेयर की तरफ से इस बात के श्रादेश दिए जाएंगे कि ये कागज रखते समय हिंदी ग्रीर ग्रंग्रेजी दोनों ग्रनुवाद एक साथ रखे जाएं?

SHRI M. M. JACOB): Madam, the Hindi translation is being done and it will be presented to the House very shortly. Since there was some hurry,

[Shri M. M. Jacob]

the English copy which was ready was laid on the Table of the House today Summary of the recommendations in both languages, Hindi and English, was laid on the Table of the House last week.

उपसभापति : उन्होंने कहा कि क्योंकि महत्ता थी इस रिपोर्ट को टेबल पर रखने को इसलिए उन्होंने श्रंग्रेजी में रख दी श्रौर उसकी समरी उन्होंने दे दी है हिंदी में भी ग्रौर तूरंत ही इसका हिंदी ग्रन्वाद करके टेबल पर रख

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : लेकिन मैडम, ग्रापकी तरफ से डॉयरेक्शन श्राना चाहिए ।

उपसंभापति : हो, मैंने डॉयरेक्शन दे दी है । ऐसे कामों में फौरन ही हिंदी का करना चाहिए बल्कि हिंदी का पहले **करना चाहि**ट ।

डा. मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश) : संविधान के विरुद्ध हैं यह कार्यवाही, राजभाषा अधिनियम मंबिजान के विरुद्ध है यह कार्यवाही । इस सदन की परंपराग्रों के विरुद्ध है ।

उपसभापति : नहीं, कभी-कभी ऐसा होता हैं कि हिंदी में जल्दी ग्रा जाता है, ग्रंग्रेजी में देर में ग्राता हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : हिन्दी में जल्दी ग्रांलाए वह तो ठीक हैं लेकिन अगर ऐसा नहीं हैं तो कम से कम मंत्री महोदय को क्षमायाचना करनी चाहिए सदन में ।

उपसभापति : हमने क्षमा मांग ली उनकी तरफ से ।

डा. मुरली मनोहर जोशी : ग्राप नो सदा क्षमा देती रहती हैं ग्रीर मांगती भी रहती हैं लेकिन इस बारे में मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं ?

SHRI M M. JACOB: Joshiji, I thought my clarification is almost an apology also,

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : ग्रापने फरमाया कभी हिंदी में पहले ग्रा जाता है, हिन्दी में पहले कभी नहीं माता क्योंकि यहां कोई काम मौलिक रूप में हिंदी में नहीं होता । हिंदी में केवल श्रन्वाद होता है . . (ब्य**वधान**)

उपसभापति : मैं नो देखिए हिंदी में भी बोलती हूं। मैं तो एकदम चेस्ट हिंदी में वात करती है। Shri Mullappally Ramachandran.

डा. मुरली मनोहर जोशी महोदया, हमारा एक अनुरोध है मंत्री महोदेय से, मैं उनसे जानना चाहंगा कि इस हिदायत का पालन करने का वचन सदन को देने हें या नहीं ?

उपसभापति : वननबद्ध हैं ।

डा. मुरली मनोहर जोशी ; कई बार दे चके हैं, तो उसका पालन क्यों नहीं करने ।

उपसभापति : कभी कभी हालात से मजबूर हो जाता है।

SHRI M. M. JACOB: I shall inform the hon. Member that I will abide by the directions of the Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You will abide by that

ऐसा है कि मैं बैटती ग्रापके साथ हूं मगर काम उनके साथ भी करना पड़ता हैं । तो पालियामेंटरी ग्रफेयर्स और चेयर का भी कुछ रिश्ता रहता हैं। खाली लीडर ग्रॉफ दि ग्रयोजिशन में ही मेरा रिश्ता स्रौर ताल्लक नहीं है।

Report and Accounts (1989-90) the Kerala Agro-industdies corporation Limited, Trivandrum and related papers

II Notifications of the Ministry Agriculture (Dearptment of Agriculture and Cooperation)